पत्रांक–14 / आ०प्र०(13FC)–22 / 2014(खण्ड)–789

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

राँची, दिनांक– 23/09/19

संकल्प

विषयः– **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना का विस्तार करने के संबंध में।**

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढ़ीकरण के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकार, भारत सरकार के द्वारा पूर्ण वित्त संपोषित योजना – Other Disaster Management Project दिनांक–01.10.2015 से दिनांक–31.10.2017 तक के लिए प्रारंभ की गई । इस योजना के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार हेतु 02 (दो) एवं चिन्हित 10 (दस) जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार हेतु 01–01 मानव संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। उक्त योजना के अंतर्गत निम्नांकित राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य को उपलब्ध कराया जाना था :–

	वित्तीय वर्ष 2015–16 (रूपये लाख में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (रूपये लाख में)	कुल (रूपये लाख में)
योजना के अंतर्गत विमुक्त की जानेवाली राशि	54.00	74.00	128.00

2. विभागीय संकल्प संख्या–209, दिनांक–17.02.2016 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, भारत सरकार द्वारा पूर्ण संपोषित अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना (ODMP) योजनान्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (SDMA) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों (DDMAs) के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई । उक्त संकल्प के आलोक में राज्य सरकार एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, नई दिल्ली के बीच Memorandum of Understanding (MoU) हस्ताक्षरित किया गया।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, नई दिल्ली एवं झारखण्ड राज्य के बीच संपन्न MoU के अनुसार अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना (Other Disaster Management Project) के तहत SDMA एवं DDMA के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम किस्त के रूप में कुल–54.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में छः माह के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के लिए 02 (दो) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के लिए 10 (दस) Disaster Professionals रखा जाना था, जिसके लिए क्रमशः 50,000 / – एवं 40,000 / – प्रति मानव संसाधन मानदेय निर्धारित किया गया था। विदित हो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–31.03.2018 तक उक्त योजना को विस्तारित किया गया था।

4. दिनांक–16.01.2018 के राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यालय स्तर (SDMA) पर संविदा आधारित कार्यरत 02 (दो) क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं जिला स्तर (DDMAs) पर कार्यरत 09 (नौ) जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की संविदा अवधि अक्टूबर, 2017 की समाप्ति की तिथि से ODMP अंतर्गत SDMA एवं DDMAs के सुदृढ़ीकरण के लिए NDMA एवं भारत सरकार के बीच संपन्न MoU के निर्धारित शर्त्तो के अधीन एवं निर्धारित कार्यो के लिए क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को उनकी सहमति प्राप्त करते हुए ODMP योजना में समायोजित किया जाय।

5. उक्त के आलोक में MoU की कंडिका–3(II)(vi) में उल्लेखित शर्त्तों के अधीन एवं निर्धारित कार्यों के लिए क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारियों एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों को उनकी सहमति पत्र के आलोक में माह अक्टूबर, 2017 के प्रभावी तिथि से 31 मार्च, 2018 तक संविदा के आधार पर ODMP योजनान्तर्गत समायोजित किया गया तथा भारत सरकार से प्राप्त निधि से इन्हें भुगतान किया गया।

6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच MoU (Memorandum of Understanding) के शर्त्तों के अनुसार दिनांक–31.03.2018 के उपरांत राज्य सरकार अपने संसाधनों से ODMP योजना को चालू रख सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक–24.08.2018 की राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक के कार्यवाही के कार्यावली सं०–06 में निर्णय लिया गया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि दिनांक–01.04.2018 से दिनांक–31.03.2019 तक विस्तारित करने पर होने वाले व्यय कुल–45,60,000/– (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये को वित्तीय वर्ष 2018–19 में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के क्षमता संवर्द्धन हेतु उपबंधित राशि के संविदा भत्ता मद से भुगतान की जाय। तदोपरांत विभागीय संकल्प सं०–994 दिनांक–02.11.2018 द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना को दिनांक–01.04.2018 से 31.03.2019 तक विस्तारित की गई।

7. दिनांक–16.04.2019 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के कार्यवाही के कार्यावली संख्या–02 में निम्न निर्णय लिया गया –

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना को अंतिम बार अगले एक वर्ष के लिए विस्तार तथा उसपर होनेवाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि से किया जाय। राज्य कार्यकारिणी समिति की इस अनुमोदन के पश्चात् मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

8. भारत सरकार के द्वारा गठित 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक झारखण्ड राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्द्धन. हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन का 5% राशि का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु कुल रू० 21,08,95,000/– (इक्कीस करोड़ आठ लाख पंचानबे हजार) रूपये मात्र का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत संविदा भत्ता (विपत्र कोड–39S224580101160108) हेतु कुल रू० 45,60,000/– (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये कर्णांकित है ।

9. आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों की कंडिका–18.1 के अनुसार 14वें वित्त आयोग अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक कर्णांकित राशि का 5% राशि का उपयोग क्षमता संवर्द्धन संबंधी निम्नलिखित कार्यों पर किया जा सकता है :–

(i) Emergency Operation Centre (EOC) की स्थापना एवं संचालन,
(ii) प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन,
(iii) श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता,
(iv) राज्य एवं जिलास्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का विनिर्माण,
(v) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का सुदृढ़ीकरण।

10. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजना को चालू रखने के निमित्त 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन की कर्णांकित राशि का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कार्यरत 09 पदाधिकारियों का अगले एक वर्ष के लिए संविदा अवधि (संविदा समाप्ति की तिथि से) विस्तार पर होनेवाले व्यय का प्राक्कलन निम्नांकित है :–

क्र० सं०	पदनाम	संख्या	प्रतिमाह संविदा	एक वर्ष हेतु कुल संविदा राशि
1.	क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी (राज्य स्तरीय)	02	50,000/–	12,00,000/–
2.	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी (जिला स्तरीय)	07	40,000/–	33,60,000/–
			कुल योग–	**45,60,000/–**

11. अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गए :–

(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त वर्णित योजना को अगले एक वर्ष तक विस्तार करते हुए योजना अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन – 02 (दो) क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं 07 (सात) जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सेवा अवधि को दिनांक–01.04.2019 से 31.03.2020 तक विस्तार की जाय।

(ii) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि विस्तार पर होनेवाले व्यय हेतु कुल–45,60,000/– (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये को वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि अंतर्गत संविदा भत्ता के निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :–

मांग संख्या–39
मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य,
लघुशीर्ष–101–विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र,
उपशीर्ष–16–14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन
विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते
08–संविदा भत्ता
(विपत्र कोड–39S224580101160108)

(iii) उक्त पदाधिकारियों का संविदा राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन प्रभाग के द्वारा किया जायेगा।

12. उपरोक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के संलेख ज्ञापांक–731/आ०प्र० दिनांक–11.09.2019 के क्रम में दिनांक–14.09.2018 की बैठक के मद सं०–01 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखेदव सिंह), 23.9
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ०प्र०(13FC)–22/2014(खण्ड)–789/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 23/09/19

प्रतिलिपिः–सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को ई–गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ०प्र०(13FC)–22/2014(खण्ड)–789/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 23/09/19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ०प्र०(13FC)–22/2014(खण्ड)–789/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 23/09/19

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ०प्र०(13FC)–22/2014(खण्ड)–789/आ०प्र०, राँची, दिनांक–23/09/19

प्रतिलिपिः–संकल्प का प्रकाशन, राजपत्र असाधारण अंक में करने हेतु ई–गजट प्रशाखा/स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रशाखा–12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।